(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्र.1361–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–02–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 439/अपील/2013–14

.....

मृतक हरप्रसाद द्वारा वारिसान :–
1–बाघमल पुत्र स्व0श्री हरप्रसाद
2–कमलसिंह पुत्र स्व0श्री हरप्रसाद
निवासी ग्राम प्रेमपुरा अमोनी तहसील हुजूर,
जिला भोपाल
3–श्रीमती गीताबाई पति कुंदनलाल पुत्री स्व.श्री हरप्रसाद,
निवासी ग्राम चंदेरी तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मृतक स्व.श्री गुलाब द्वारा वारिसान :–
1–मृतक धन्नालाल द्वारा वारिसानः–
(अ)सीताराम पुत्र स्व.धन्नालाल
(ब)घुड़ेलाल पुत्र स्व.धन्नालाल
(स)मोरबाई पुत्री स्व.धन्नालाल
(द)शक्तिबाई पुत्री स्व.धन्नालाल
2–मृतक कल्ला द्वारा वारिसान :–
(अ)मिश्रीलाल पुत्र स्व.कल्ला
(ब)ग्यारसा पुत्र स्व.कल्ला
(स)हिम्मतसिंह पुत्र स्व. कल्ला
(द)अमोलसिंह पुत्र स्व.कल्ला
(ई)रामलाल पुत्र स्व.कल्ला
(फ)भंवरीबाई पुत्री स्व.कल्ला
(ज)गयाबाई पुत्री स्व.कल्ला
(च)अजबी बाई पुत्री स्व.कल्ला
3–फुल्ला पुत्र स्व श्री कल्ला
सभी निवासीगण ग्राम प्रेमपुरा अमोनी,
तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... अनावेदकगण

.....

श्री डी0डी0मेघानी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री संदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 21/11 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के पूर्वज स्व0हरप्रसाद द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 15 पर पारित आदेश दिनांक 19–1–1994 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 11–10–2012 को प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 28/अपील/12–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–6–2014 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील समाप्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–2–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आदेश के राजस्व अभिलेखों में अनावेदकगण के नाम की प्रविष्टि की गई है जो कि प्रारंभ से ही शून्यवत् है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि नीलामी में कय की गई है और जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है । तर्क में यह भी कहा गया कि बैंक द्वारा नामान्तरण हेतु कहा गया, तब आवेदकगण की ओर से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक ही आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है और जो प्रारंभ से ही शून्य आदेश के विरूद्ध समय सीमा का प्रश्न नहीं रह जाता है। यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आज भी आवेदकगण का कब्जा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामान्तरण कराये जाने में आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई है, जबकि उनके द्वारा भूमि क्रय की जाकर वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा भूमि क्रय की जाकर प्रमाण पत्र को ही नामान्तरण मान लिया गया था। उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1979 में क्रय किया जाना बताया जा रहा है और विक्रय प्रमाण पत्र लगभग 20 वर्ष बाद वर्ष 2000 में जारी किया जाना बताया जा रहा है एवं अपील उसके भी लगभग 12 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई है और आवेदक गण की ओर से कहा जा रहा है कि नामान्तरण करने की जिम्मेदारी तहसील न्यायालय की थी, परन्तु उनके द्वारा इतनी लम्बी अवधि में उनके द्वारा सक्षम कार्यवाही किये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(2) आवेदिका अनपढ़ महिला होकर भूमि क्रय की सकती है तब यह नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा विक्रय पत्र को ही नामान्तरण मान लिया गया था ।

(3) संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत 6 माह की अवधि में नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था, परन्तु आवेदकगण द्वारा अत्यधिक विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय किये जाने के 20 वर्ष पश्चात् विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना प्रश्नाधीन भूमि के क्रय करने को संदिग्ध बनाता है, अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक अवैध कब्जा है और फौती नामान्तरण के पश्चात् विधिक वारिसान का नामान्तरण हो चुका है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 पर विधिवत् विचार किया जाकर आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर अपील को निरस्त किया गया है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष अपने आदेश में नहीं निकाला गया है, जबकि उन्हें वैधानिक दुष्टि से प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करने के पूर्व सर्वप्रथम समय सीमा के बिन्दु पर निष्कर्ष निकालना चाहिये था, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है, अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उन्हें प्रत्यावर्तित करना उचित होगा कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिन बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकाला जाकर आदेश पारित किया गया है, उन बिन्दुओं पर विचार कर अपर आयुक्त द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर